



9/8/16

अगिले रव उपस्थापित किया गया / नैटिवा  
 तमिना के पश्चात् प्राप्त हुआ । जनाबन्दी  
 रैगा के वंशज द्वारा उपरोक्त भूमि से  
 संबंधित लगान 2 शीद की चाप प्रति वर्ष  
 1986 तक तथा अन्त कागजात संपर्कित  
 किया गया है परन्तु उसके द्वारा किसी  
 सख्त पदाधिकारी का आदेश की मूल  
 प्रति (सत्यापित प्रति तथा अन्त कोई ठोस  
 साक्ष्यों की मूल प्रति) सत्यापित प्रति  
 प्राप्त नहीं किया गया है, जो उनकी जगह  
 की पुष्टि करता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में  
 संबंधित राजस्व अधिकारी एवं अंचल  
 निरीक्षक के उचित एवं अनुसंधान से  
 जाया पर उपरु जनाबन्दी को रद्द  
 करने की अनुसंधान की जाती है।

अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुरोध  
 भूमि सुधार उप समाप्त पनाबाद को भेजे।

9/8/16  
 अंचल अधिकारी  
 तमिना, गुं

दाख जमिलेख संख्या- 246/2016 (अ. वि. सं. 4/19), B.L.R Act, 1950

सूचना

बनाम

दुकली गैरहाईवे जमि मजदूर मजदूरी  
रता 0 वडा 66

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि भूखंड- वडा 66 खाना नं- 182  
खत नं- 62 खेसरा नं- 7 रकबा 3.50 एकर अधि नाम 2  
हो नं- पाना के पकी-11 भाग के पृष्ठ पर दल जमाबंदी प्रथम पृष्ठया  
राजस्व कर्मचारी ने अवल निरीक्षक के माध्यम से औद्योगिकता संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संख में दिनांक 9/8/16 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित दुरुभनामा, भूखण्ड जर्जीदार द्वारा निर्मित जर्जीदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जर्जीदारी निर्मित होने के बाद सरकार द्वारा निर्मित राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठीक साक्ष्यों को मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, को साथ अगोहरवादी के कार्यालय प्रवेश में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समय रहे कि अन्यथा कि रिजल्ट में सन्तुष्टा जायेगा कि उक्त संख में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर तनूतित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दल जमाबंदी के संख में सुचित-सुगत निर्णय लुप्त हुए निर्णयगत अनुसूचित कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जामें।

दिधि:-

गुरु

स्थान:-

  
अवल अधिकारी  
दिल्ली-110002  
25/8/16

शिव प्रसाद मेहता  
नोप्लि वरिगला चीफ  
चौक 24 एप 2 वडी  
06/8/16